उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

चतुर्थ एवं पंचम तल, गन्ना किसान संस्थान, न्यू बेरी रोड, लखनऊ
ई–मेल:up-cexo@nic.in

पत्रांकः 2600 / ए–48 / यूपीआरआरडीए / 2024 दिनांक 26.... सितम्बर 2024

विज्ञप्ति

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीन केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत अर्ह अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में कार्य करने हेतु मूल विभाग में निम्नलिखित पदों पर कार्यरत इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र0सं0	पदनाम	प्रतिनियुक्ति पर वेतनमान	पदों की संख्या	अर्हता / योग्यता
1	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15600–39100 (ग्रेड पे–7600)	1	1. शासकीय विभाग में उक्त वेतनमान एवं उल्लिखित पद पर कार्यरत अभ्यर्थी ही पद हेतु अर्ह होंगे। 2. सम्बन्धित विभाग में स्थायी पद पर कम से कम 05 वर्ष की निरन्तरता एवं संतोषजनक सेवा अनिवार्य है। 3. कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता।
2	मुख्य अभियन्ता	संवर्गीय वेतनमान	1	
3	राज्य गुणवत्ता समन्वयक	37400–67000 (ग्रेड पे–8700)	1	
4	वरिष्ठ अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण)	15600–39100 (ग्रेड पे 6600)	1	
5	सूचना अधिकारी	9300–34800 (ग्रेड पे 4200)	1	
6	कनिष्ठ लिपिक	5200–20200 (ग्रेड पे 1900)	1	1. शासकीय विभाग में उक्त वेतनमान एवं उल्लिखित पद पर कार्यरत अभ्यर्थी ही पद हेतु अर्ह होंगे। 2. सम्बन्धित विभाग में स्थायी पद पर कम से कम 05 वर्ष की निरन्तरता एवं संतोषजनक सेवा अनिवार्य है। 3. कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता। 4. लेखन प्रणाली में दक्ष होना एवं कम्प्यूटर पर टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी में 25/30 शब्द प्रतिमिनट का ज्ञान।
7	कनिष्ठ सहायक	संवर्गीय वेतनमान (ग्रेड पे–2000)	1	

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र नियुक्ति विभाग/मूल विभाग के माध्यम से बन्द लिफाफे में अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियों सहित अधोहस्ताक्षरी के *कार्यालय उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, चतुर्थ एवं पंचम तल, गन्ना किसान संस्थान, न्यू बेरी रोड़, लखनऊ–226001* में दिनांक 03.10.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अभिकरण कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित नियम व शर्तें तथा आवेदन प्रपत्र अभिकरण कार्यालय की वेवसाईट www.uprrda.org पर डाउनलोड़ किये जा सकते हैं।

शैक्षिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अधोहस्ताक्षरी किसी एक अथवा समस्त आवेदन पत्रों को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीआरआरडीए

आवेदन पत्र

आवेदित पदनाम–..

1. नाम – ....
2. पिता का नाम – ....
3. जन्म तिथि – ....
4. पता– – ....
   ....
5. मोबाईल नं0 – ....
6. ईमेल आई0डी0 – ....
7. शैक्षिक योग्यता – ....
8. गत 05 वर्षो की तैनाती का विवरण–

फोटो

क्र0सं0	पदनाम	कार्यकाल कब से कब तक	वेतनमान	विभाग/संस्था का नाम

9. क्या आपके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही हुई है? हाँ/नहीं

10. यदि हाँ तो कब और क्या परिणाम हुआ – ....

स्थानः ....

दिनांक : ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रतिनियुक्ति की नियम व शर्तेः–

1. प्रतिनियुक्ति हेतु कर्मी के सम्बन्धित विभाग में स्थायी पद पर कम से कम 05 वर्ष की निरन्तरता एवं संतोषजनक सेवा अनिवार्य है।
2. प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारी की सेवा अधिकतम 03 वर्ष की होगी तथा विशेष परिस्थितियों में 05 वर्ष होगी।
3. प्रतिनियुक्ति विषयक अन्य शर्ते वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक सेवा शर्तो के अनुसार मान्य होंगी।
4. जिस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही गतिमान है अथवा सेवा संबंधी कोई प्रकरण मा0 न्यायालय में लम्बित/विचाराधीन है, आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
5. अधिवर्षता आयु/सेवानिवृत्ति 05 वर्ष से कम होने पर अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
6. पद हेतु निर्धारित ग्रेड–पे में कार्यरत अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु अर्ह होंगे। अधिक ग्रेड–पे/कम ग्रेड में कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
7. उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में अभ्यर्थी द्वारा जिस पद के लिये आवेदन किया जा रहा है, मूल विभाग में अभ्यर्थी को उसी पदनाम पर कार्यरत होना अनिवार्य है।
8. अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु डाक पत्र/ईमेल के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।
9. चयनित अभ्यर्थियों को उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि में वही वेतनमान अनुमन्य होगा जो उन्हें उनके मूल/पैतृक विभाग में अनुमन्य है।
10. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र अपने मूल विभाग के माध्यम से कार्यालय को भेजना होगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीआरआरडीए